



राजस्थान सरकार
कार्यालय- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा एवं
जिला मुख्य आयुक्त...बांस.....

Telephone:-

Email:-

दिनांक- 21/2/24

क्रमांक: 281

समस्त संस्थाप्रधान/प्रधानाचार्य
राजकीय/रा.उ.प्रा.वि./रा.बा.उ.प्रा.वि./
रा.मा.वि./रा.बा.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि.,
जिला-बांस.....।

विषय - राजस्थान सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना की अनिवार्यतः रूप से पालना सुनिश्चित कराने का परिपेक्ष में जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों का पंजीकरण कर स्काउटिंग गतिविधियों का अनिवार्यतः संचालन करने के क्रम में।


प्रसंग:- कार्यालय शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय एवं पंचायती राज(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान सरकार।

क्रमांक: प (01)/education2/2023-24-05510 दिनांक 05.02.2024।

शिविरा-मा/माध्य/A-4/विविध/2021-22/02283 दिनांक 13.02.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के आदेशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना अन्तर्गत 8826 निष्क्रिय ग्रुपो को सक्रिय करने एवं 1500 नवीन विद्यालयों में उक्त गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए तत्काल कार्यक्रम शुरू करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आगामी सत्र 2024-25 में सत्र प्रारम्भ से ही विद्यालयों में स्काउट्स/गाइड्स गतिविधियां प्रारम्भ हो जाए। उक्त हेतु नवक्रमानत विद्यालयों को पंजीकृत किये जाने हेतु उक्तानुसार सत्र 2022-23 स 2023-24 में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत हुए समस्त राजकीय विद्यालयों में स्काउटिंग की गतिविधियों को अनिवार्यतः संचालन करवाये जाने हेतु निष्क्रिय राजकीय विद्यालयों का पंजीकरण किया जाना है। सम्बन्धित संस्थाप्रधान हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स के डिस्ट्रीक्ट ऑर्गेनाइजर एवं जिला सचिव से सम्पर्क स्थापित कर सहयोग प्रदान करते हुए निष्क्रिय विद्यालयों को पंजीकृत कंशकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सुचित करें।


सम्पर्क सूत्र डिस्ट्रीक्ट ऑर्गेनाइजर


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला मुख्य आयुक्त, बांस
दिनांक:

क्रमांक:- मुजिशिअ/उदय/स्का. गा./2024/...281.....

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान् राज्य मुख्य आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. श्रीमान् राज्य आयुक्त(स्काउट) एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा एवं पदेन सहायक राज्य आयुक्त।
4. श्रीमान् राज्य सचिव हि.स्का.गा.रा.मु., उदयपुर।
5. श्रीमान् राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त हि.स्का.गा.रा.मु., उदयपुर।
6. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), मा./प्रा.शि., एवं पदेन जिला आयुक्त।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक जिला आयुक्त को भेजकर लेख है कि आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
8. श्रीमान् सहायक राज्य संगठन आयुक्त हि.स्का.गा., संभाग।
9. डिस्ट्रीक्ट ऑर्गेनाइजर एवं जिला सचिव, हि.स्का.गा.।
10. रक्षित पत्रावली


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला मुख्य आयुक्त, बांस